न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

रिव्यु पेटीशन प्रार्थना पत्र सं0 8/16 अन्तर्गत ऑर्डर 47 नियम–1सीपीसी

1. भगवानाराम उर्फ मंगनाराम पुत्र पतराम जाति नायक निवासी चक 19पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (मृतक)
   1/1 तुलसीदेवी पत्नी भगवानाराम उर्फ मंगनाराम नायक
   1/2 लमी पुत्री भगवानाराम उर्फ मंगनाराम नायक
   1/3 सरोज पुत्री भगवानाराम उर्फ मंगनाराम नायक
   1/4 सुमन पुत्री भगवानाराम उर्फ मंगनाराम नायक 15 वर्ष नाबालिग
   1/5 हंसराज पुत्र भगवानाराम उर्फ मंगनाराम नायक 12 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली तुलसीदेवीपत्नी भगवानाराम उर्फ मंगनाराम माता खुद निवासीगण 19पीबीएन तह. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
2. सेनाराम पुत्र पुत्र पतराम जाति नायब निवासी चक 19 पीबीएन तहसील पीलीबंगा
3. चेतनराम पुत्र पतराम जाति नायक निवासी चक 19 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
   3/1 लीला देवी पत्नी चेतनराम नायक
   3/2 कमला पुत्र चेतनराम नायक
   3/3 ताराराम पुत्र चेतनराम नायक 15 वर्ष जरिये कुदरती वली माता लीलादेवी पत्नी चेतनराम माता खुद ।
   3/4 भीमाराम पुत्र चेतनराम नायक 12 वर्ष जरिये कुदरती वली माता लीलादेवी पत्नी चेतनराम माता खुद ।
   3/5 कालूराम पुत्र चेतनराम नायक 7 वर्ष जरिये कुदरती वली माता लीलादेवी पत्नी चेतनराम माता खुद ।
   निवासीगण चक 19पीबीएन तहसील पीलीबंगा जि0 हनुमानगढ ।
4. रामलाल पुत्र पतराम नायक निवासी 19 पीबीएन तहसील पीलीबंगा
5. कुसुम्बी पुत्र पतराम जाति नायक निवासी 19 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
6. चावली पुत्री पतराम जाति नायक निवासी 19 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
7. लूणीदेवी पत्नी स्व. किशनाराम नायक निवासी 19 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
8. भंवरलाल पुत्र किशनाराम नायक निवासी 19 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
9. सोनादेवी पुत्री किशनाराम नायक निवासी 19 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

बनाम

1. राजस्व अपील प्राधिकारी एवं प्राधिकृत चीफ सैटलमेंट कमिश्नर, हनुमानगढ ।
2. प्रबन्धक अधिकारी (पुनर्वास) एवं एसडीएम हनुमानगढ ।
3. जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर ।
4. चैनी उर्फ चनणी पत्नी स्व. पन्नाराम नायक निवासी अमरपुरा राठान त0पीलीबंगा ।
5. किला
6. तीजां
7. लालू
8. कालाराम
9. बाधु

   पुत्र/पुत्रियां स्व. पन्नाराम नायक निवासी अमरपुरा राठान त0पीलीबंगा ।

10. फूली पत्नी स्व.बुधराम नायक निवासी निवासी 19 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
11. श्रवण
12. कंवराराम
13. कुम्भा

    पिसरान बुधराम पुत्र पन्नाराम जाति नायक निवासी अमरपुरा राठान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।

सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

14. खेमचन्द
15. भवरी] पुत्रियां बुधराम नायक निवासी अमरपुरा राठान तहसील पीलीबंगा
16. काली] जिला हनुमानगढ ।
17. भीखी पत्नी स्व. जीतराम पुत्र बुधराम पुत्र पन्नाराम नायक निवासी अमरपुरा राठान तहसील पीलीबंगा जिला हनमानगढ ।
18. राजू] पि0जीतराम नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता भीखी पत्नी जीतराम
19 धोंकल] नायक निवासी अमरपुरा राठान त. पीलीबंगा जि0 हनुमानगढ ।
20. पूजा]
21. जोगाराम पुत्र श्री चूनाराम उर्फ चिमनाराम नायक निवासी अमरपुरा राठान तहसील तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (मृतक)

21/1 सुरतीदेवी पत्नी स्व. जोगाराम निवासी चक 15एमडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
21/2 मोहनबाई पुत्री
21/3 कालूराम पुत्र
21/4 राजुराम पुत्र
21/5 संतुबाई पुत्री
21/6 सोहनलाल पुत्र
21/7 जीवनराम पुत्र
21/8 रावताराम (मृतक)
21/8/1 बखतु देवी पत्नी रावताराम निवासी चक 19एमडी तहसील घड़साना ।
21/8/2 कृष्णलाल पुत्र रावताराम निवासी चक 19एमडी तहसील घड़साना ।
21/8/3 रोशनी बाई पुत्री रावताराम निवासी चक 19एमडी तहसील घड़साना ।

उपस्थितिः 1– श्री महावीर प्रसाद शर्मा – अभिभाषक प्रार्थीगण ।
2– श्री सत्यपाल सहू – अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 5ता 8,10,15

निर्णय

दिनांक 22.10.19

1. प्रार्थी द्वारा यह रिव्यु पेटीशन ऑर्डर 47 नियम 1 सीपीसी के अन्तर्गत सम्भागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा डी.पी. (सी. एण्ड आर.) एक्ट की धारा 33 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी कम प्राधिकृत चीफ सैटमलेंट कमिश्नर, हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 30.7.005 के विरुध्द प्रस्तुत की गयी पेटीशन सं0 2/2008 डी.पी.एक्ट (विविध) रिमाण्ड प्रकरण अनवान भगवानाराम उर्फ मंगनाराम वगैरह बनाम स्टेट, चैनी वगैरह में पारित किये गये निर्णय दिनांक 19.9.2016 के विरुध्द प्रस्तुत की गयी है ।
2. उक्त रिव्यु पेटीशन प्रार्थना पत्र में अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि सनद पतराम के नाम से जारी की गयी थी, सनद में वर्णित सदस्यों जीवों के नाम से आवंटन नहीं किया गया था, इसलिए अप्रार्थीगण का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा न होते हुए भी हिस्सेदार मानते हुए उनके नाम से सनद जारी करने के आदेश दे दिया । अतः सनद में दर्ज जीवों के आधार पर ही भूमि आवंटित होना जान कर पेटीशन निर्णय करने में कानूनी गलती की है। यह गलती मिसल पर स्पष्टरुप से मौजूद है, जो नजरसानी का उचित कारण है । इसलिए इस न्यायालय के निर्णय का पुनरावलोकन किया जाकर नजरसानी प्रार्थीगण स्वीकार की जाकर पतराम पुत्र चिमनाराम नायक के स्थान प्रार्थीगण को उसके वारिसान घोषित करके

सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

उनके नाम सनद जारी करने एवं राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम भूमि दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे एवम् 33 बीघा 14 बिस्वा से अधिक कब्जे की 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि को नियमानुसार कीमतन आवंटित करने का आदेश फरमाया जावे । अपने कथन के समर्थन अभिभाषक प्रार्थीगण ने आरआरडी 1992 पेज़ 611 को अवलोकनीय बताया ।

3. प्रकरण में अप्रार्थीगण सं0 5 ता 8 व 10, 15 के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में वरवक्त आवंटन पतराम, पन्नाराम व जोगा तथा स्वयं धापू, चैना पत्नी पन्नाराम व चम्पा माता पतराम को नोन क्लेमेंट में 33.14 बीघा भूमि जीवों के आधार पर आवंटन होकर सनद जारी हुई है । जीवों के आधार पर आवंटन पूरे परिवार के नाम से हुआ है, अतः केवल पतराम के नाम से आवंटन होना नहीं माना जा सकता है । प्रकरण में जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 17.7.85 के आधार पर ही सनद सं0 3375 दिनांक 3.1.89 जिला पुनर्वास एवं प्रबन्धक अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी की गयी थी । उक्त आदेश के विरुध्द प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 22.4.94 द्वारा निस्तारित करते हुए सनद सं0 3375 दिनांक 3.1.89 को सही माना गया। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पटीशन सं02/2008 डीपी एक्ट में अपना निर्णय विस्तृत अध्ययन एवं रिकॉर्ड के आधार पर पारित किया गया, जिसमें कोई कानूनी त्रृटि नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि जीवों के आधार पर किये गये आवंटन में सभी जीवों का हिस्सा बनता है । अतः प्रार्थीगण की नजरसानी निरस्त फरमाई जावे । अपने कथन के सम्बन्ध में अभिभाषक अप्रार्थीगण ने सिविल रिट सं0 2581 /1988 अनवान बख्तुराम बनाम चीफ सैटलमेंट कमिश्नर वगैरह निर्णय दिनांक 22.9.88 अवलोकनीय बताया ।

4. हमने नजरसानी में अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए इस न्यायालय द्वारा डी.पी.एक्ट पेटीशन सं0 2/2008 (विविध) रिमाण्ड प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 19.9.2016 एवं न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया । प्रकरण में अभिभाषक प्रार्थीगण ने रिव्यु पेटीशन में मुख्य आधार यह लिया है कि सनद पतराम के नाम से जारी की गयी थी, सनद में वर्णित सदस्यों जीवों के नाम से आवंटन नहीं किया गया था, अतः नजरसानी प्रार्थीगण स्वीकार की जाकर पतराम पुत्र चिमनाराम नायक के स्थान पर प्रार्थीगण को उसके वारिसान घोषित करके उनके नाम सनद जारी करने एवं राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम भूमि दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे तथा 33 बीघा 14 बिस्वा से अधिक कब्जे की 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि को नियमानुसार कीमतन आवंटित करने का आदेश फरमाया जावे ।

5. न्यायालय के अनुसार अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा रिव्यु प्रार्थना पत्र में लिया गया उपरोक्त आधार स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि प्रकरण में विवादित 33.14 बीघा भूमि पतराम को नॉन क्लेमेंट में जीवों के आधार किश्तों पर आवंटन हुई थी, जिसमें परिवार के अन्य सदस्य गण

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

भी हिस्सेदार हैं । इस सम्बन्ध में अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निर्णय की फोटो प्रति अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पेटीशन संख्या 2581/1988 अनवान बखुराम बनाम चीफ कलक्टर कम चीफ सैटलमेंट कमिश्नर श्रीगंगानगर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 22.9.88 के अनुसार कस्टोडियन भूमि के सम्बन्ध में जीवों के आधार पर किये आवंटन में सभी जीव हिस्सेदार माने जायेंगे। अतः अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी रुलिंग इस प्रकरण में लागू नहीं होती है । नियमानुसार रिव्यु प्रस्तुत करने का क्षेत्र बहुत ही सीमित है । प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा डीपी.एक्ट पेटीशन सं0 2/2018 (विविध) में उभय पक्ष की सुनवाई के पश्चात विस्तृत विवेचन करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय दिनांक 19.9.16 पारित कर प्रार्थीगण की पेटीशन आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रबन्धक अधिकारी (पुनर्वास) एस.डी.एम. हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (रिमाण्ड) किया गया कि " जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा वारिसाना के रिमाण्ड प्रकरण सं. 126/84 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 17.7.85 में कुल आवंटित 33.14 बीघा भूमि के लिए वारिसान का निर्धारित किये गये हिस्सा अनुसार संशोधित सनद जारी की जाकर तद्अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद का आदेश देने तथा 4.16 बीघा भूमि जो आवंटन से अधिक की है, वह भारत सरकार के रकबा राज की भूमि है, के निस्तारण बाबत नियमानुसार कार्यवाही की जावे "। अतः इस न्यायालय द्वारा डी.पी.एक्ट रिमाण्ड पेटीशन सं0 2/2018 में पारित किये गये उपरोक्त निर्णय दनांक 19.9.16 में Error on the face of record परिलक्षित नहीं होने से उक्त निर्णय के विरुध्द प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी नजरसानी का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2016 अस्वीकार किया जाता है तथा निर्णय दिनांक 19.9.2016 यथावत रखा जाता है ।

6. तदनुसार नजरसानी का प्रार्थना निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश दिनांक 22.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर